कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ 11(43टी)एफसीए/मुवसअ/2013–14/3750 दिनांक 6/6/17

निमित्तः–

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.1 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Rajasthan Agricultural Marketing Bourd, Division tonk for construction of Missing Road (Dooni Aanwa road to Chandli Maata Ji Temple) under forest Division Tonk, District Tonk, State Rajasthan.

संदर्भः–

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में बिन्दूवार पालना रिर्पोट आज दिनांक तक की निम्नानुसार प्रेषित है।

Observ NO.	Observation of GoI	Reply
a.	The FRA certificate has been submitted for the land proposal for CA instead of the land proposal for diversion. The FRA certificate for the land proposal for diversion should be submitted.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि कि एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है। पूर्व में प्रेषित एफ. आर.ए. प्रमाण में प्रत्यावर्तित वनभूमि एवं प्रत्यावर्तित वनभूमि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली गैर वनभूमि का भी विवरण है।
b.	The user agency has done construction work in violation of FCA 1980. The territorial DCF has lodged an FIR but the present status of FIR has not been informed.	उप वन संरक्षक, टोंक द्वारा प्रकरण में एफ.आई. आर दर्ज करके एवजाना राशि रूपये 46500 वसूल कर प्रकरण निस्तारण किया गया है।
c.	The DCF has done site inspection on 23rd Sept. 2015. The detailed report on FCA violation has been neither submitted in the Hard Copy nor uploaded on The FCA Portal.	उप वन संरक्षक, टोंक द्वारा विस्तृत साईट निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।
d.	In the geo-referenced map of the proposed road. At one end of proposed road (near Latitude 25° 47' 37" Longitude 75° 33' 55") an existing road has been shown in the forest area. Details of FCA approval for this part of (existing) road in forest area should also be submitted.	उप वन संरक्षक, टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की बनी सड़क है। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्र भी संलग्न किया गया है।
e.	The site inspections was done by the concerned territorial CCF on 17th Sept. 2015. As per the site inspection report of CCF, vide letter no. 6157-61 of his	प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, अजमेर द्वारा वन संरक्षक,अजमेर से जॉच करावायी गयी जिसके अनुसार क्षेत्रीय

	office, Conservator of Forests Ajmer was asked to enquire in to the issue and submit detailed report. Latest status may be submitted.	वन अधिकारी देवली/टोंक एवं श्री प्रभूलाल शर्मा वनपाल नाका आंवा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 में आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र प्रस्तावित किये गये जो कि इस कार्यालय द्वारा उप वन संरक्षक,टोंक को प्रेषित कर प्रकरण के संबंध में कार्यवाही कर निर्णय से मुख्य वन संरक्षक,कार्यालय को अवगत कराने हेतु कहा गया। उप वन संरक्षक,टोंक द्वारा आदेश दिनांक 11.4.2017 के द्वारा क्षत्रीय वन अधिकारी देवली श्री रघुवीर सिंह विरूद्ध लगाये गये आरोप निरस्त किये गये एवं जांच नत्थीबद्ध की गयी। श्री प्रभू लाल शर्मा वनपाल के सेवानिवृत हो चुके है, इसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1468 दिनांक 1.3.2017 द्वारा श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज.जयपुर के संज्ञान में लायी गयी।
f.	The details of CA, estimates, site suitability certificate and KML file have not been provided.	संलग्न कर दिये गये है। सॉफ्ट कॉपी में KML File ऑनलाईन नही दी गयी है, संलग्न है।
g.	The detail of afforestation site and estimates for TEN Times of area violated as penal CA should also be submitted	10 गुना पेनल सी.ए. का प्लान संलग्न कर दिया गया है, साथ ही यूजर एजेन्सी के पास वित्तीय संसाधन नहीं होने से कम से कम दण्ड देने हेतु निवेदन किया गया है इस पर पुनः विचार आपके स्तर से किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीय,

6/6/17

(पी0के0उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक टोंक

क्रमांक एफ( ) सर्वे/एफसीए/उवस/2017–18/CAMP-ZP-SP 1 दिनांक 20/06/17
निमित्तः–

मुख्य वन संरक्षक
अजमेंर

विषयः– लिंक रोड दूनी आवां रोड से चांदली माताजी 5.00किमी के क्रम में।

प्रसंगः–भारत सरकार का पत्र क्रमांक 8b/raj/06/43/2015/fc/1472 दिनांक 14.03.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार प्रेषित है।

Point No.	Objection/Query	Reply
Point (a)	It was specifically mentioned n our letter no 8B/Raj/06/43/2015/FC/1123 dated 29 Dec 2015 of this office that FRA certificate has been submitted for the CA Area instead of forest area proposed for diversion . In reply, without reading the content DCF has written that FRA certificate has already been submitted. FRA certificate has been submitted for 2.1 ha. Of Khasra no. 182 of Gram Bishan Pura, Panchayat-Rajkot and the details of this land pertain to the non forest land which is being transferred to forest Department. FRA certificate is to be submitted for the land to be diverted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित FRA प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रसताव की अतिरिक्त सूचनाओं में संलग्न कर दिया गया है।
Point (b)	The territorial DCF had informed that the matter is still pending. The present status of issue has not been clarified, in the absence of which decision cannot be taken.	प्रकरण में क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली को सक्षम अधिकारी के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6197–6202 दिनांक 21.7. 2015 निलम्बित किया गया था। जांच में आरोपो की पुष्टि नही होने के कारण क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली को दोषमुक्त कर मुख्य वन संरक्षक अजमेंर के आदेश संख्या 7163–68 दिनांक 24. 09.2015 द्वारा बहाल किया गया। प्रकरण की जांच पूर्ण की जा चुकी है।

Point (c)	Site inspection report has been submitted by territorial DCF. In addition to previously reported violation , the DCF has further informed that the width of road/path has been widened to approx 25 feet from the earlier width of 12 feet and for this purpose the required soil has been excavated from adjoining forest area. This is addition violation of provisions of FCA-1980. The DCF has bot mentioned anything about action taken for illegal excavation of soil from adjoining forest area, by the user agency.	प्रकरण में सहायक वन संरक्षक देवली द्वारा स्थान का निरीक्षण कर वन भूमि मे हुए नुकसान का आंकलन तथा निर्माण किये गये पक्के कार्यो का ब्यौरा रिपोर्ट कमांक कैम्प आवां स्पेशल । दिनांक 18.8.2015 द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी हटाई जाने की एवजाना राशि 46200/– जरिर्ये रसीद संख्या 20/5 जरिर्ये चालान संख्या 0011029786 दिनांक 31 मई 2016 द्वारा राजकोष मे जमा करा दी गई है।
Point (d)	Certificate of XEN has been submitted which does not serve the purpose as it does not provide any documentary proof of the period during which the said road has been constructed.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर अवगत कराया गया है। कि पूर्व का डामरीकृत रोड बना हुआ हैं। वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से पूर्व का बना होना बताया गया है।
Point (e)	Enquiry of CCF-Ajmer is still pending, even after more than 6 months. The outcome of this Enquiry should be conveyed to this office, in the absence of enquiry report, no decision can be taken.	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

(के.के.सक्सैना)
उप वन संरक्षक
टोंक

कमांक एफ( ) सर्वे/एफसीए/उवस/2017–18/ दिनांक

प्रतिलिपिः–अधिशाषी अभियंता राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक।

(के.के.सक्सैना)
उप वन संरक्षक
टोंक

कार्यालय उप वन संरक्षक,टोंक

क्रमांक एफ ( )2016–17/जांच/उवस/ 3101 दिनांक 11.4.17

कार्यालय आदेश

श्री रघुवीर सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली को इस कार्यालय के ज्ञापन पत्र सख्या 193 दिनांक 10.01.2017 से राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियत्रण एवं पुर्नरावेदन) 1958 के नियम 17 के तहत विभागीय जांच चांदली माता से आवां दूनी सड़क का वन क्षैत्र 4 किलोमीटर लम्बाई का निमार्ण किये जाने के सम्बन्ध में आरोप पत्र जारी किया गया था।

श्री रघुवीर सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली द्वारा दिनांक 24.01.2017 को उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रेषित कर निवेदन किया कि विभाग द्वारा जारी एफ. आई.आर. नं. 41 दिनांक 08.05.2015 मय पंचनामा फर्द जब्ती प्रस्तुत करने पर अधिशाषी अभियन्ता कृषि विपणन बोर्ड टोंक द्वारा यह कृत मन्जूर किया गया तथा उक्त अवैध सड़क निमार्ण कार्य का हरजाना मुआवजा राशि रु. 46200 जरिये रसीद सख्या 20/5 जरिये चालान सख्या 0011029786 दिनांक 31.5.2016 द्वारा राजकोष मे जमा करा दिय गये है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण वन संरक्षण अधि0 1980 के अंतर्गत भारत सरकार को सक्षम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया जिसे विभाग द्वारा सिद्धान्त रूप से सहमति जताते हुए राज्य सरकार के माध्यम से उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया जो वर्तमान मे भारत सरकार के पास विचाराधीन है। श्री सिंह को लापरवाही बरती जाने के कृत्य के सम्बन्ध मे निलम्बित किया जा कर दण्डित हो चुके है।

अतः श्री रघुवीर सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली का स्पष्टीकरण संतोषप्रद पाये जाने पर इनके वि रूद्व सीसीए 17 में लगाये गये आरोप निरस्त कि ये जाकर इनके वि रूद्व विचाराधीन जांच को नत्थीबद्व किया जाता है।

श्री रघुवीर सिह क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली को मुख्य वन संरक्षक अजमेर के आदेश संख्या 6197–6202 दिनांक 21.7.2015 से निलम्बित किया जाकर आदेश सख्या 7163–68 दिनांक 24.9.2015 से बहाल किया गया था। अतः इनका उक्त निलम्बन काल पेंशन मे शुमार किये जाने के एतद्वारा आदेश प्रसारित कि ये जाते है।

(अजय चितौड़ा)
उप वन संरक्षक
टोंक

क्रमांक एफ ( )2016–17/जांच/उवस/ 3102-7 दिनांक 11.4.17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. मुख्य वन संरक्षक अजमेर
2. श्री रघुवीर सिह क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली।
3. कार्मिक शाखा/निजी पत्रावली/बिल शाखा दो प्रति में।
4. गार्डबुक

(अजय चितौड़ा)
उप वन संरक्षक
टोंक

कार्यालय सहायक वन संरक्षक देवली वन मण्डल टोंक

क्रमांक / Comp. Anwa / 1 दिनांक 18-8-15

प्रेषित

श्रीमान उप वन संरक्षक
टोंक

विषय :- आंवा दूनी रोड से ग्राम चांदली माता तक रास्ता एंव कल्वर्ट निर्माण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके मौखिक निर्देशानुसार आज दि. 18-8-2015 को प्रात: 9.00 बजे टोंक से गश्तीदल स्टाफ के साथ प्रस्थान कर 10-30 बजे आपके बताये स्थान आंवा दूनी रोड से ग्राम चांदली माता को जाने वाले रास्ते पर पहुंचे। उक्त वन क्षेत्र में आ रहे ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य की लम्बाई एंव चौडाई नापी गई। जिसमें रोड की लम्बाई 4 कि.मी. 200 मीटर तथा औसत चौडाई 8.40 मीटर पाई गई। जिसका कुल क्षेत्रफल 3.528 हैक्टर आता है।

उक्त रोड पर बने हुए कल्वर्ट एंव रपट की कुल लम्बाई चौडाई व ऊंचाई नापी गई। जिसका विवरण पृथक से संलग्न प्रेषित है।

संलग्न
(1) माप तालिका
(2) नजरी नक्शा

(वी.के.प्रधान)
उप वन संरक्षक
टोंक

भवदीय

सहायक वन संरक्षक
देवली (टोंक)

झीला दूनी रोड पर ग्राम चांदनी माता रोड तक सड़क निर्माण में आने वाले कल्वर्ट व रपट की ल. चौ. व ऊंचाई का विवरण

क्र. सं.	कल्वर्ट/रपट सं.	लम्बाई	चौड़ाई	औसत ऊंचाई	Latitutad डिग्री	मिनट	सैकिंड	Longitutud डिग्री	मिनट	सैकिंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कल्वर्ट 1	76-25 मी.	7-50 मी.	1-50 मी.	N.25°	47'	30-46"	E 075°	33'	43-28"
2	रपट 2	25-60 मी.	7-60 मी.	1-20 मी.	N.25°	47'	26-5"	E 075°	33'	37-64"
3	कल्वर्ट 3	27-20 मी.	7-50 मी.	1-20 मी.	N.25°	47'	22-14"	E 075°	33'	29-9
4	कल्वर्ट 4	30-40 मी.	7-50 मी.	1-20 मी	N.25°	47'	14-91"	E 075°	33'	19-3"
5	रपट 5	24-40 मी.	7-50 मी	1-00 मी	N.25°	46'	56-01"	E 075°	32'	53-53"
6	कल्वर्ट 6	30-90 मी.	7-50 मी.	1-80 मी.	N.25°	46'	45-06"	E 075°	32'	38-52"
7	रपट 7	24-90 मी.	7-50 मी.	0-50 मी	N.25°	46'	33-74"	E 075°	32'	12-52"

ह० गवाह

(1) श्री रामकरण गोसाइवाल (R.O. गश्तीदल, टोंक) — [signature] R.O.

(2) विक्रम शर्मा वनरक्षक, गश्तीदल टोंक — विक्रम (व.र.)

(3) मुकेश कुमार चौधरी वनरक्षक गश्तीदल टोंक — मुकेश चौधरी

(4) केदार लाल शर्मा वनरक्षक नाकासर रेंज देवली — केदार नारायण व.र.

सहायक वन संरक्षक
देवली (जिला-टोंक)

नदी - नक्शा

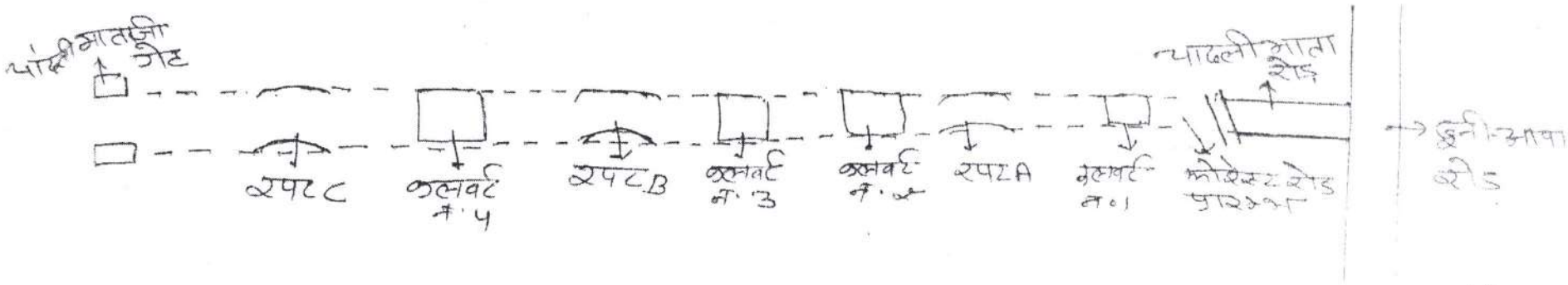

INDEX

S.No.		G.P.S.	दूरी
1.	फोरेस्ट रोड प्रारम्भ	N - 25°47' 35.57" E - 75°33' 51.74"	0
2.	कलवर्ट 1	N - 25°47' 30.46" E - 75°33' 43.28"	300 m.
3.	रपट A	N - 25°47' 26.5" E - 75°33' 37.64"	500 m.
4.	कलवर्ट 2	N - 25°47' 22.14" E - 75°33' 29.91"	800 m.
5.	कलवर्ट 3	N - 25°47' 14.91" E - 75°33' 19.3"	1200 m.
6.	रपट B	N 25°46' 56.01" E 75°32' 53.53"	2100 m.
7.	कलवर्ट 4	N 25°46' 45.06" E 75°32' 38.62"	2700 m.
8.	रपट C	N 25°46' 33.74" E 75°32' 12.52"	3500 m.
9.	चांदली माताजी गेट	N. 25°46' 26.6" E. 75°31' 52.35"	4200 m.

(वी.के.प्रधान)
उप वन संरक्षक
टोंक

सहायक वन संरक्षक
देवली (जिला-टोंक)